न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–पीयुष समारिया,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 53/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/255

प्रार्थीगण बनाम **अप्रार्थीगण**

1. चन्द्रादेवी पत्नि स्वर्गीय श्री रामनिवास
2. जोगेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री रामनिवास
3. महेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री रामनिवास
4. रामचन्द्र गुर्जर पुत्र स्वर्गीय श्री रामनिवास
5. सुशीला पुत्री स्वर्गीय श्री रामनिवास
6. इमरतीदेवी पुत्री स्वर्गीय श्री रामनिवास
7. गलूकदेवी पत्नि श्री भंवरलाल
8. कमल पुत्र श्री भंवरलाल
9. सुतीलाल उर्फ सुरेश पुत्र श्री भंवरलाल
10. जेठाराम पुत्र श्री ग्यारसीराम

जातियान गुर्जर निवासीगण डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर(राजस्थान)

1. अब्दुल हमीद पुत्र श्री नाथूखां
2. अब्दुल मजीद पुत्र श्री नाथूखां
3. युसुफ खा पुत्र श्री नाथूखां
4. निसार खां पुत्र श्री नाथूखा
5. सलीम खां पुत्र श्री नाथूखां
6. मोहम्मद रफीक पुत्र श्री नाथूखां
7. मोहम्मद रज्जाक पुत्र श्री नाथूखां
8. मोहम्मद इकबाल पुत्र श्री नाथूखां
9. अयूबखां पुत्र श्री भंवरूखां
10. वसीम खां पुत्र श्री भंवरूखा
11. असलम खां पुत्र श्री भंवरूखां
12. अकरम खां पुत्र श्री भंवरूखां

समस्त जातियान कायमखानी निवासीगण डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राजस्थान)

13. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर
14. अध्यक्ष/ अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल डीडवाना जिला नागौर
15. कार्तिकेय मीणा पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर डीडवाना जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री भगवानाराम सारस्वत।
2. अप्रार्थी 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 की ओर से वकील श्री अशोक वैष्णव, अप्रार्थी संख्या–14 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश गौड़, अप्रार्थी संख्या 13 व 15 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

आदेश **दिनांक–** 07-09-2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या–42/2016 अब्दुल हमीद बनाम रामनिवास व अन्य की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या–1,4,5,7,9 व 12 के विरूद्ध दिनांक 10.08.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर,नागौर

वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 42/2016 अब्दुल हमीद व अन्य बनाम रामनिवास व अन्य के अनवान से घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा इत्यादि का विचाराधीन है जो वाद साक्ष्य वादी में विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 से 12 ने एलानियां तौर पर ये घोषणा की कि अप्रार्थी संख्या 15 के पीठासीन अधिकारी से पूर्ण रूप से बातचीत हो चुकी है तथा हमने उन्हें प्रभाव में ले लिया है व शीघ्र ही हमारे पक्ष में निर्णय पारित करवा लेगे। तथा प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा एकदम नजदीक नजदीक तारीख पेशियां ली जा रही है तथा न्यायिक प्रावधानो के व विधिक प्रावधानो के विपरीत कार्यवाही की जा रही है इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 15 से न्याय की कोई उम्मीद नहीं होने से उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा उक्त प्रकरण में गलत रूप से विधिक प्रावधानो के विपरीत जाकर सुनवायी की जा रही है तथा एक मात्र उक्त प्रकरण को प्राथमिकता दी जा रही हे तथा प्राथमिकता से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नजदीक नजदीक तारीख पेशिये दी जा रही है जिससे पूर्णतया प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 15 पूर्ण रूप से अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के प्रभाव में है तथा उनके प्रभाव में आकर कार्यवाही की जा रही है इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 15 से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण में दो–दो दिन की तारीख पेशिया दी जा रही है तथा आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अपना निष्कर्ष दिये बिना ही आवेदन पत्र को स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया जबकि आवेदन आदेश 7 नियम 14 (3) सी.पी.सी के अन्तर्गत पेश किया गया था जिसके अन्तर्गत न्यायालय को दस्तावेज पेश करने की देरी के संबंध में व दस्तावेज की प्रकरण में सुसंगतता के संबंध में विचारण कर इस संबंध में पूर्ण निष्कर्ष देते हुए आदेश पारित करना चाहिए था परन्तु बिना विवेचन किये ही आवेदन पत्र को स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया जबकि उक्त दस्तावेज प्रकरण में किस प्रकार से सुसंगत है इस संबंध में न तो आवेदन पत्र में अंकित किया गया और न ही देरी से पेश करने का कोई कारण अंकित किया साथ ही किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया तथा दस्तावेज की सुसंगतता व देरी से पेश करने के संबंध में एवं साक्ष्य में ग्राहयता के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 15 के समक्ष एतराज भी किया गया परन्तु अप्रार्थी संख्या 15 ने विधिक माइन्ड अप्लाई किये बिना ही व बिना विवेचन किये व देरी एवं सुसंगतता के संबंध में बिना विवेचन किये ही केवल मात्र आदेशिका में आदेश पारित किया जिसके अवलोकन से भी पूर्णतया प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 15 पूर्ण रूप से अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के प्रभाव में है तथा उनके प्रभाव में आकर ही सारी कार्यवाही की जा रही है।

अप्रार्थी संख्या 15 पर स्थानीय विधायक का अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के पक्ष में निर्णय करने का दबाब है तथा उनके दबाब में आकर ही अप्रार्थी संख्या 15 प्रकरण में नजदीक तारीख पेशियां लेकर प्रकरण को येन केन प्रकारेण अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को पक्ष में निर्णित करने पर उतारू है तथा विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना ही कार्यवाही की जा रही है इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 15 से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है इसलिए न्याय दिलवाने एवं प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण हेतु प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष मुन्तकिल किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिकाओ के अवलोकन मात्र से ही पूर्णतया प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 15 सम्पूर्ण कार्यवाही एक पक्षीय रूप से विधिक प्रावधानो को ताक में रखकर केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को लाभ पहुंचाने की नीयत से किया जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 15 से न्याय की कोई उम्मीद नही है। इसलिए न्याय दिलाने व न्यायहित में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थी संख्या 1 से 12 ने प्रार्थीगण को एलानियां तौर पर कहा है कि हमारी बात एस.डी.ओ डीडवाना से हो चुकी है तथा उन्हें उनका प्रतिफल दे दिया है इसलिए वो नजदीक नजदीक तारीख पेशियां रखकर शीघ्र ही हमारे पक्ष में निर्णय पारित कर देगे ऐसा एलानियां तौर पर कह रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 12 ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि अप्रार्थी संख्या 15 उनके आर्थिक प्रभाव में है तथा शीघ्र ही निर्णय अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के पक्ष में कर दिया जायेगा तथा अप्रार्थी संख्या 1 से

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

12 बार बार अप्रार्थी संख्या 15 के चेम्बर में जाकर मिलते है तथा प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण को ऐसा करते देखा है इस संबंध में प्रार्थीगण ने एतराज भी किया तो अप्रार्थी संख्या 15 ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी सेटिग अप्रार्थी संख्या 1 से 12 से हो चुकी है इसलिए मैं शीघ्र ही नजदीक तारीख रखकर निर्णय वादीगण के पक्ष में करूंगा। आपसे जो बन सके वह कर ले। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 15 पूर्ण रूप से अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के आर्थिक प्रभाव में है इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 15 से किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं है इसलिए निष्पक्ष न्याय व सुनवायी हेतु प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित व न्याय संगत है।

विधि अनुसार न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए परन्तु प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से व आदेशिकाओ के अवलोकन से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई न्याय नहीं हो रहा है तथा न्यायिक प्रावधानो का गला घोटा जा रहा है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरीत की जा रही है इससे प्रमाणित है कि प्रकरण में प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 15 से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार न्याय हेतु मुन्तकिल किया जाना उचित एव न्याय संगत है।

अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या–42/2016 में तारीख पेशी 20.07.2022 को प्रतिवादी के वकील द्वारा पत्रावली स्थानान्तकरण की प्रकिया जिला कलक्टर नागौर के समक्ष लम्बित होने से जिरह स्थगित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर महोदय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त नहीं होने का आदेशिका में उल्लेख करते हुए जिरह बंद कर पत्रावली का साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 22.07.2022 को नियत कर दी गई। उक्त आदेश दिनांक 20.07.2022 के विरूद्ध प्रतिवादीगण जो कि हस्तगत प्रकरण के प्रार्थीगण है, के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी/टी.ए./4152/2022/नागौर चन्द्रादेवी बनाम अब्दुल हमीद प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 26.07.2022 से अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश अपास्त कर दिया, साथ ही न्यायालय हाजा में विचाराधीन मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक उक्त प्रकरण संख्या 42/2016 में कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया है। मा0 राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय में जिरह का अवसर बंद करना पूर्णतयाः मनमान आदेश माना है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 26.07.2022 की प्रति अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.07.2022 को प्रस्तुत कर दी गई, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.08.2022 के अनुसार प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु ही दिनांक 16.08.2022 को नियत किया गया है, जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनुसार प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिरह हेतु नियत किया जाना चाहिए था, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की भी पालना नहीं की जा रही है, का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–15 के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या–42/2016 अब्दुल हमीद व अन्य बनाम रामनिवास व अन्य प्रकरण को विधिवत सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी श्री अशोक कुमार वैष्णव ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर पेश किया गया है उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी डीडवाना में विचाराधीन वाद को देरीना करने की नियत से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है, विचाराधीन वाद पुराना वाद है। प्रार्थीगण ने मनगढ़त तथ्यों के आधार पर उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण ने कोई ऐलानिया घोषणा नहीं की है। विचाराधीन वाद को देरीना करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे पेश किया है जो खारिज होने योग्य

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विचाराधीन राजस्व वाद को देरीना करने की नियत से न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया है। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने प्रार्थीगण को शहदात के अवसर दिये उसके उपरोन्त भी प्रार्थीगण ने शहदात पेश नहीं की केवल मात्र विचाराधीन वाद को देरीना करने के लिए उक्त प्रार्थना पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर तथा न्यायालय हाजा के भी निर्देश है कि पुराने प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करे। तथा उन्हे प्राथमिकता के आधार पर निर्णित करे। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना पर प्रार्थीगण जो अरोप लगाये है जो स्वय सिद्ध करे। अतः प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3, 4, व 5 मे वर्णित तथ्य गलत है तथा प्रार्थीगण ने इस बाबत कोई प्रमाण पेश नही किया गया है। झूठे मनगढ़त के तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य होने का कथन करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश गौड़ ने प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने पर उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर बेबुनियाद आरोप लगाये जाने का कथन करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या– 42/2016 अब्दुल हमीद बनाम रामनिवास व अन्य की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु हस्तगत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी के आवेदन में दिये गये तथ्यों के संबंध में कोई विवेचन किये बिना ही दिनांक 07.07.22 को उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2022 में पीठासीन अधिकारी की कार्यवाही के संबंध में जो तथ्य प्रकट किये गये है, उनके सन्दर्भ में भी प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद संख्या–42/2016 अब्दुल हमीद बनाम रामनिवास व अन्य को आगामी विधिवत सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) लाडनूँ के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त राजस्व वाद संख्या–42/2016 अब्दुल हमीद बनाम रामनिवास व अन्य प्रकरण की सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) लाडनूँ के न्यायालय में आगामी सुनवाई हेतु तारीख पेशी नियत कर प्रकरण के पक्षकारान को उक्त संबंध में सूचित कर, उक्त राजस्व वाद संख्या–42/2016 की मूल पत्रावली शीघ्र सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) लाडनूँ को भिजवावें। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) डीडवाना एवं सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) लाडनूँ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर,नागौर